

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
बमुकद में ईव्तादाई

88

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

आदेशीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

संख्या :- 481/2022

पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.

वादी

बनाम

- 1 भागीलाल पुत्र बृजलाल
- 2 धिमन लाल पुत्र बुजलाल
- 3 बृजलाल पुत्र सुलतान
- 4 चन्दो देवी पुत्री मंगलूराम
- 5 जन्ना देवी पुत्री मंगलूराम
- 6 देवीलाल पुत्र मंगलूराम (फौत)
- 6/1 मदनलाल पुत्र देवीलाल
- 6/2 सीताराम पुत्र देवीलाल
- 6/3 दुलीचन्द पुत्र देवीलाल
- 7 पूर्णचन्द पुत्र मंगलूराम
- 8 भागीरथ पुत्र हरीशचन्द्र (फौत)
- 8/1 जयगणेश पुत्र भागीरथ
- 9 रतनाराम पुत्र लाधूराम (फौत)
- 9/1 फूसाराम पुत्र रतनाराम
- 9/2 ओम प्रकाश पुत्र रतनाराम
- 10 रूपराम पुत्र मंगलूराम (फौत)
- 10/1 दयालाराम पुत्र रूपराम
- 10/2 शकर लाल पुत्र रूपराम
- 10/3 मदन लाल पुत्र रूपराम
- 11 तहसीलदार राजस्व संगरिया।

जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

जाति जाट निवासी मटोरीयावाली ढाणी तह. व जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 3.4.2025

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री राजेश बुढानिया वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 6/1 ता 6/3, 7,9/2, 10/1 ता 10/3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

नाम काशतकार मय विवरण एवं सकूनात	चक का नाम खातों का विवरण	राजस्व रिकार्ड अनुसार रकबा	वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार काशतकार का नाम	कब्जा काशत अनुसार रकबा	अन्तर का विवरण	अन्तर का कारण	वि वि
मनफूलराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा	प.मं. नगराना के चक 12 एसवीएन के खाता सं. 69/85 खाते का योग 6.072 हेक्. (विवादित श्रेणी)	1.518 हेक्.	मनफूलराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा (कुल 1.518 हि.)	प.नं. 175/199 मु.नं. 35 कि. नं 3-4-7-8-14-17 कुल 1.518 हेक्.			
रतनाराम पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा (फौत)	प.मं. नगराना के चक 12 एसवीएन के खाता सं. 69/85 खाते का योग 6.072 हेक्. (विवादित श्रेणी)	0.506 हेक्.	रतनाराम पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा (फौत) वारिसान की कब्जा काशत (कुल 0. 506 हेक्)	प.नं. 175/198 मु.नं. 21 कि. नं 23/1/0.228, 23/2/0. 025 गै.गु. रास्ता कुल 0.253 हेक्.			
बृजलाल पुत्र सुलतान सिंह जाति जाट निवासी रतनपुरा	प.मं. नगराना के चक 12 एसवीएन के खाता सं. 69/85 खाते का योग 6.072 हेक्. (विवादित श्रेणी)	3.036 हेक्.	बृजलाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी रतनपुरा	प.नं. 175/199 मु.नं. 35 कि. नं 2-9-12-19-22- 23-24/1.771 प.नं. 175/200 मु.नं. 42 कि.नं 2-3-4-7-8/1.265 कुल 3. 036 हेक्.			

महायक कलक्टर एवं

मागीलाल 2 देवी पि. बृजलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा	प.मं. नगराना के चक 12 एसबीएन के खाता सं. 69/85 खाते का योग 6.072 हेक्. (विवादित श्रेणी)	1- 0.506 2- 0.506 कुल 1.012 हेक्.	मागीलाल पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा	प.नं. 175/199 मु.नं. 35 कि. नं 13-18/0.506 प.नं. 175/200 मु.नं. 42 कि.नं 13-14/0.506 कुल 1.012 हेक्.
देवीलाल (फौत) 2 रूपराम (फौत) 3 चन्दो देवी 5 देवी पि. मंगलूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा	प.मं. नगराना के चक 12 एसबीएन के खाता सं. 69/85 खाते का योग 6.072 हेक्. (विवादित श्रेणी)	1- 0.506 2- 0.000 3- 0.506 4- 0.506 5- 0.506 कुल 1.012 हेक्.	1 देवीलाल (फौत) 2 रूपराम (फौत) 3 पूर्णचन्द 4 चन्दो देवी 5 जन्ना देवी पि. मंगलूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा	प.नं. 175/198 मु.नं. 21 कि. नं 24/1/0.228, 24/2/0. 025 गै.मु. रास्ता कुल 0.253 हेक्.

1. पटवार सर्किल नगराना के चक 12 एसबीएन के खाता सं. 69/85 में दर्ज क.स. 7 पर दर्ज नाम का वर्तमान में कब्जा काशत नही होने के कारण उक्त नाम हट रहा है।


2. चक 12 एसबीएन की जमाबंदी सम्वत् 2065-68 के खाता सं. 78/67 में मंगलू वल्द लादू जाति जाट बुडानिया निवासी रतनपुरा का हिस्सा 0.253 हेक्. दर्ज राजस्व रिकार्ड था लेकिन सेग्रिगेशन के दौरान हिस्सा गलत हो गया।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/4803 दिनांक 24.12.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

नोट :- तहसीलदार संगरिया ने अपने विभाजन प्रस्ताव में देवीलाल, रूपराम, रतनाराम को फौत होना तथा इनके वारिसानों का कब्जा काशत होना बताया है इसलिए तहसीलदार संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार देवीलाल, रूपराम, रतनाराम के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....150.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।

वसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 3.4.2020.....को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

  
 (जय कौशिक)  
 सहायक कलक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी,  
 संगरिया